(5)

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 13/12/2018

Certificate No.	B0M2018L41	Stamp Duty Paid : (Rs. Only)	₹ 27000
GRN No.	42580370	Penalty : (Rs Zero Only)	₹ 0

Seller / First Party Detail

Name:	Yogender				
H.No/Floor :	No	Sector/Ward :	No	LandMark :	Tigrana
City/Village :	Tigrana	District :	Bhiwani	State :	Haryana
Phone:	0				

Buyer / Second Party Detail

Name :	Yashpal				
H.No/Floor :	No	Sector/Ward :	No	LandMark :	Chang
City/Village:	Chang	District :	Bhiwani	State :	Haryana
Phone :	9255406614				

Purpose : LEASE DEED THROUGH RAMPAL ADHAR NO 711804311300

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

8957

पटटानामा अराजी	जर पटटा	स्टाम्प
तादादी 5 कनाल 6 मरला	3,00,000/-रूपये	27,000/-रूपये
वाका मौजा तिगड़ाना	(सालाना)	

तह0 व जिला भिवानी (मियादी 30 (तीस साल) आज दिनांक 13-12-2018 से 12-12-2048 तक)

हम कि 1-योगेन्द्र 2-अभिलाष पुत्रान श्री रामधन पुत्र श्री दुनी सिंह निवासी गांव तिगड़ाना तह0 व जिला भिवानी
------फरीक अव्वलान

व

....2

वशिष्ठ
प्रलेख लेखक
चैम्बर नं० 4, डीड राईटर्स कॉम्पलैक्स
भिवानी-127021

योगेन्द्र

यशपाल कटारिया पुत्र श्री कर्मचन्द कटारिया पुत्र श्री फकीरचन्द कटारिया निवासी गांव चांग तह0 व जिला भिवानी
-----फरीक दोयम

हम फरीक अव्वलान अपने स्वस्थ चित व स्वस्थ बुद्धि से इकरार करते हैं और लिख देते हैं कि हम मिकरान फरीक अव्वलान वाका मौजा **तिगड़ाना** तह0 व जिला भिवानी में बरूवे जमाबन्दी साल 2012-13 व बरूवे मन्जूरशुदा इन्तकाल नम्बर **9431** दिनांक **30-12-2015** की रूह से कि अराजी खेवट नं0 **1801मिन** खतोनी नं0 **2228मिन** खसरा नं0 **149//11/1(4-0) 12मिन दक्षिण(1-6)** किते **2** तादादी **5** कनाल **6** मरला के वाहिद मालकान व काबिजान **समभाग** होते हैं। जो कि अराजी बाला हर प्रकार के ऋण व भार से पाक व साफ हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा मुकदमा व स्टेय आदि नहीं है। जिसे हर प्रकार से मुन्तकिल करने के हमे पूरे-2 हक व अधिकार हांसिल होते हैं। मन फरीक अव्वलान को जरूरत जायज, लेनदेन व खर्च खानगी के लिए रकम की जायज जरूरत है। इसलिए हम फरीक अव्वलान बकायमी होश हवाश बिना किसी के दबाव धमकाव बहकाव फुसलाव व प्रभाव में आये हुए अपने तन मन की स्वस्थ अवस्था में हमारी अराजी उपरोक्त सालिम **5** कनाल **6** मरला बमय सर्वाधिकार निकास प्रवेश रास्ता तहती अराजी एवं मय तमामी हक व हकूक दाखली व खारजी हर किस्म जो हम मिकर फरीक अव्वलान को हांसिल होते हैं बामुकाबिला राशि मुबलिग **3,00,000/**-रूपये **(तीन लाख रूपये)** सालाना की दर से बराये **30 (तीस साल)** आज दिनांक **13-12-2018** से **12-12-2048** तक पास व बहैक फरीक दोयम पटेटदार को पट्टा पर दे दिया है तथा पट्टाशुदा अराजी बाला का कब्जा वाकई मौका पर पटटेदार को दे दिया है और अपना कब्जा व अधिकार हर किस्म पट्टाशुदा अराजी बाला से उठा लिया है और अब फरीक दोयम पटटेदार का मौका पर बतौर पट्टेदार का कब्जा हैं तथा शरायत पट्टेदारी निम्नलिखित तैय व मुकर्रर हुई है:-

1-यहकि सालाना पटटा की राशि मुबलिग 3,00,000/-रूपये **(तीन लाख रूपये)** सालाना तैय व निश्चित हुई हैं तथा मियाद पट्टेदारी बराये **30 (तीस साल)** आज दिनांक **13-12-2018** से शुरू होकर दिनांक **12-12-2048** को समाप्त होगी।

2-यहकि फरीक दोयम पट्टेदार अराजी उपरोक्त पट्रोलियम/सी0एन0जी0/पी0एस0यू0 कम्पनीज को आगे पट्टा पर देवे जिसमें फरीक अव्वलान को कोई उजर व एतराज नही होगा।

...3

[stamp: ... वशिष्ठ ... डीड राईटर/प्रलेख लेखक, चैम्बर नं. 4, ... भिवानी-127021]

पो0 गी0 ...

3-यह कि फरीक दोयम अराजी उपरोक्त जेर पट्टा में अपनी लागत से अपनी आवश्यकतानुसार पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प संचालित/स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार/केन्द्र सरकार भारत/पी0एस0यू0 कम्पनीज एवम् अन्य सम्बन्धित विभाग से एन0औ0सी प्राप्त करने के लिए प्रत्राचार, एग्रीमैन्ट करे, पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प की बिल्डिंग तामीर करे, जमीन के नीचे टैंक निर्माण करावे, उसको प्रयोग करे, बिजली विभाग से बिजली का कनैक्शन लेवे, टेलिफोन विभाग से टेलिफोन कनैकशन लेवे तथा जन स्वास्थ्य विभाग से पानी का कनैक्शन लेवे, हरियाणा सरकार/केन्द्र सरकार भारत/पी0एस0यू0 कम्पनीज एवम् अन्य सम्बन्धित विभाग से नक्शा आदि पास करवाये, तथा बिल्डिंग निर्माण करवाने की इजाजत प्राप्त करे, एवम् एक्सपलोसिव, बी एण्ड आर, पी0डब्ल्यू0डी विभाग से कोई इकाई या पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प संचालित/स्थापित करने के लिए निर्माण करने की स्वीकृती/एन0औ0सी0 सम्बन्धित महकमा जात से प्राप्त करे, तथा किसी प्रकार की सिक्योरिटी आदि जमा करवाये, बिजली, टेलिफोन व पानी आदि के बिल व ऋण भरने की जिम्मेवारी फरीक दोयम की होगी तथा किसी बैंक अथवा वितीय संस्थान एवम् किसी महकमा से बिल्डीगं आदि निर्माण करने के लिए ऋण आदि लेवे, वापिस जमा करवाये, एवम् पट्रोलियम/सी0एन0जी/पी0एस0यू0 कम्पनीज एवम् अन्य सम्बन्धित विभाग भारत सरकार से अराजी उपरोक्त वर्णित स्थान पर पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प संचालित/स्थापित करने के लिए मन्जूरी लेवे। इस उपरोक्त सम्पति पर पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प संचालित/स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार/केन्द्र सरकार भारत/पी0एस0यू0 कम्पनीज एवम् अन्य सम्बन्धित विभाग से एन0औ0सी0 प्राप्त करे। पैट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प से सम्बन्धित महकमो से पत्राचार व कानूनी कार्यवाही करे तथा तमाम आवश्यक कार्यवाही करे।

4-यहकि यदि फरीक दोयम/पट्टेदार रकम जरे पट्टा फरीक अव्वलान/पट्टा देहिन्दगान को अदा करने में असफल रहा या कोताई कि तो उस सुरत में फरीक अव्वलान फरीक दोयम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करके रकम जरे पट्टा वसूल करने के अधिकारी होगे और उस सुरत में तमाम हर्जा व खर्चा की जिम्मेवारी फरीक दोयम पट्टेदार की होगी।

5-यहकि अराजी बाला पर फरीक दोयम जो भी बिल्डिंग अपने खर्चा पर तामीर करेगा उस बिल्डिंग में फरीक दोयम पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प चला सकेगा तथा किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकेगा इसमें

.....4

चैम्बर नं० 4, डीड राईटर्स कॉम्पलेक्स
भिवानी-127021

फरीक अव्वलान को कोई उजर व एतराज नहीं होगा।

6-यहकि हम फरीक अव्वलान निश्चित मियाद से पहले अराजी बाला का कब्जा वापिस नहीं ले सकेगें तथा ना ही इस पट्टानामा को किसी भी प्रकार से मन्सूख करवा सकेगें।

7-यहकि फरीक दोयम पट्टे की शर्तो की अवहेलना करेगा तो फरीक अव्वलान निश्चित म्याद से पहले भी अराजी से फरीक दोयम को बेदखल करवा सकेगे।

8-यहकि पट्टा राशि हर एक वर्ष की समाप्ति पर दौराने पट्टेदारी फरीक अव्वलान वसूल करके रसीद देते रहेगे तथा बिना रसीद कोई अदायगी रकम जर पट्टा मान्य नहीं होगी।

9-यहकि इन्तकाल बहक पट्टेदार के नाम दर्ज करवाकर तसदीक करवा देगें।

10-यहकि अगर किसी कारण से सरकार या महकमा के दवारा पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प चलाने की मन्जूरी नही मिलती हैं तो उस सुरत में हम फरीक अव्वलान पट्टा नामा को मन्सूख करवाने के पाबन्द रहेगें और ना ही कोई राशि प्राप्त करेगें।

11-यहकि मियाद पट्टेदारी समाप्त होने पर फरीक दोयम अराजी बाला को खाली करके तथा अपने निर्माणशुदा भवन को हटाकर, समतल करके खाली अराजी बाला का कब्जा वाकई फरीक अव्वलान को देने का पाबन्द व जिम्मेवार होगा।

12-यहकि फरीक दोयम कब्जा अराजी बाला छोड़ते समय किसी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा। यदि फरीक दोयम मियाद पट्टेदारी समाप्त होने पर अराजी बाला को खाली करके कब्जा हवाले फरीक अव्वलान नहीं करेगा तो फरीक अव्वलान को कानूनी चाराजोही करके अराजी बाला का कब्जा प्राप्त करने के हक व अधिकार होगे और उस सुरत में तमाम हर्जा व खर्चा फरीक दोयम का होगा।

13-यहकि नुकस कानूनी व मलकियती की तमाम जिम्मेवारी फरीक अव्वलान की होगी। पाबन्दी दस्तावेज हजा की फरीकैन की तरह से उन के वारसान पर भी न्याई रहेगी।

14-यहकि पट्टानामा पर स्टाम्प मुबलिग 27,000/-रुपये (**सताईस हजार रूपये**) का नियमानुसार लगाया गया है क्योकि पट्टा कि मियाद 30 (तीस साल) आज दिनांक **13-12-2018** से **12-12-2048** तक है और रकम जरे पट्टा मु0 3,00,000/-रूपये (**तीन लाख रूपये**) सालाना हैं इसलिए स्टाम्प एक साल की पट्टा राशि की तीन गुणा राशि पर तीन प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया है।

p...5

चैम्बर नं० 4, ...

भिवानी-127021

प्रलेख न:8955

दिनांक:13-12-2018

	डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम LEASE		
तहसील/सब-तहसील भिवानी	गांव/शहर तिगडाना	स्थित तिगडाना
	भवन का विवरण	
	भूमि का विवरण	
नहरी		5 Kanal 6 Marla
	धन सबंधी विवरण	
राशि 300000 रुपये		कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 27000 रुपये
स्टाम्प नं : b0m2018l41	स्टाम्प की राशि 27000 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5000 रुपये	EChallan:42583651	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By:		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 13-12-2018 दिन गुरुवार समय 2:52:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी योगेन्द्र पुत्र रामधन अभिलाष पुत्र रामधन निवास तिगडाना दवारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (भिवानी)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
योगेन्द्र अभिलाष

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है|

दिनांक 13-12-2018
योगेन्द्र अभिलाष

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (भिवानी)

संयुक्त सब रजिस्ट्रार

उपरोक्त पटटा लेने वालव श्री/श्रीमती/कुमारी यशपाल कटारिया पुत्र कर्मचन्द कटारिया हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा देने वालाने मेरे समक्ष पटटा लेने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया |दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सतबीर नम्बरदार पिता --- निवासी सै व श्री/श्रीमती/कुमारी रामपाल पिता --- निवासी ढाणी चांग ने की |

साक्षी नं.1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

दिनांक 13-12-2018

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी(भिवानी)

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
भिवानी

15-यहकि फरीक दोयम किसी भी बैंक व सोसायटी व एन0बी0एफ0सी कम्पनी व हरियाणा सरकार/केन्द्र सरकार भारत/पी0एस0यू0 कम्पनीज एवम् अन्य सम्बन्धित विभाग से व किसी भी अन्य संस्थान से उपरोक्त पट्रोल-डीजल पम्प/सी0एन0जी पम्प संचालित/स्थापित करने के लिए एन0औ0सी0/लोन लेवे व एन0औ0सी0 /लोन लेने के लिए कोई भी एग्रीमैन्ट व पत्राचार करे। फरीक दोयम लोन राशि जमा करवाकर उसकी एन0औ0सी0 बरवक्त म्याद फरीक अव्वलान को लाकर देने का पाबन्द रहेगा और किसी भी प्रकार की लोन की फरीक अव्वलान की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

अतः यह पट्टानामा मियादी **30 (तीस साल)** आज दिनांक **13-12-2018** से **12-12-2048** तक रोबरू गवाहान तहरीर कर दिया है ताकि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। मजमून दस्तावेज पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे सुन कर व समझ कर दुरूस्त माना। इस दस्तावेज का मजमून मैने फरीकैन की हिदायत अनुसार तैयार करवाया है। जगन प्रसाद वशिष्ठ प्रलेख लेखक भिवानी रजि0संख्या 1298 दिनांक 13-12-2018

चैम्बर नं० 4, डीड राईटर्स कॉम्पलैक्स
भिवानी-127021

फरीक अव्वलान
योगेन्द्र
4421 7663 4558

-अभिलाष
Abhilash

योगेन्द्र 7757 2291 5855

फरीक दोयम
यशपाल कटारिया
~~5589 0300 1791~~

गवाह
सतबीर नम्बरदार
गांव सै

गवाह
रामपाल पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी
गांव ढ़ाणी वांग जिला भिवानी
7118 0431 1300

तसदीक की जाती हैं कि नकल मुताबिक असल हैं।

योगेन्द्र

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
8955	2018-2019	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- योगेन्द्र अभिलाष

पटटा लेने वाला :- यशपाल कटारिया

गवाह 1 :- सतबीर नम्बरदार

गवाह 2 :- रामपाल

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 8955 आज दिनांक 13-12-2018 को बही नं 1 जिल्द नं 57 के पृष्ठ नं 56.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 9248 के पृष्ठ संख्या 31 से 33 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 13-12-2018

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी(भिवानी)

SITE PLAN OF THE LAND OF SH. YASHPAL KATARIA S/o SH. KARAM CHAND KATARIA SITUATED AT HANSI ROAD NEAR ZEE LITRA SCHOOL MOJA TIGRANA TEHSIL & DISTT. BHIWANI

KHASRA No 149//11/1, 12

SITE SHOWN --- ☐

AREA:- 2704- SQm+.

OR. 3232.3 SQYDS.

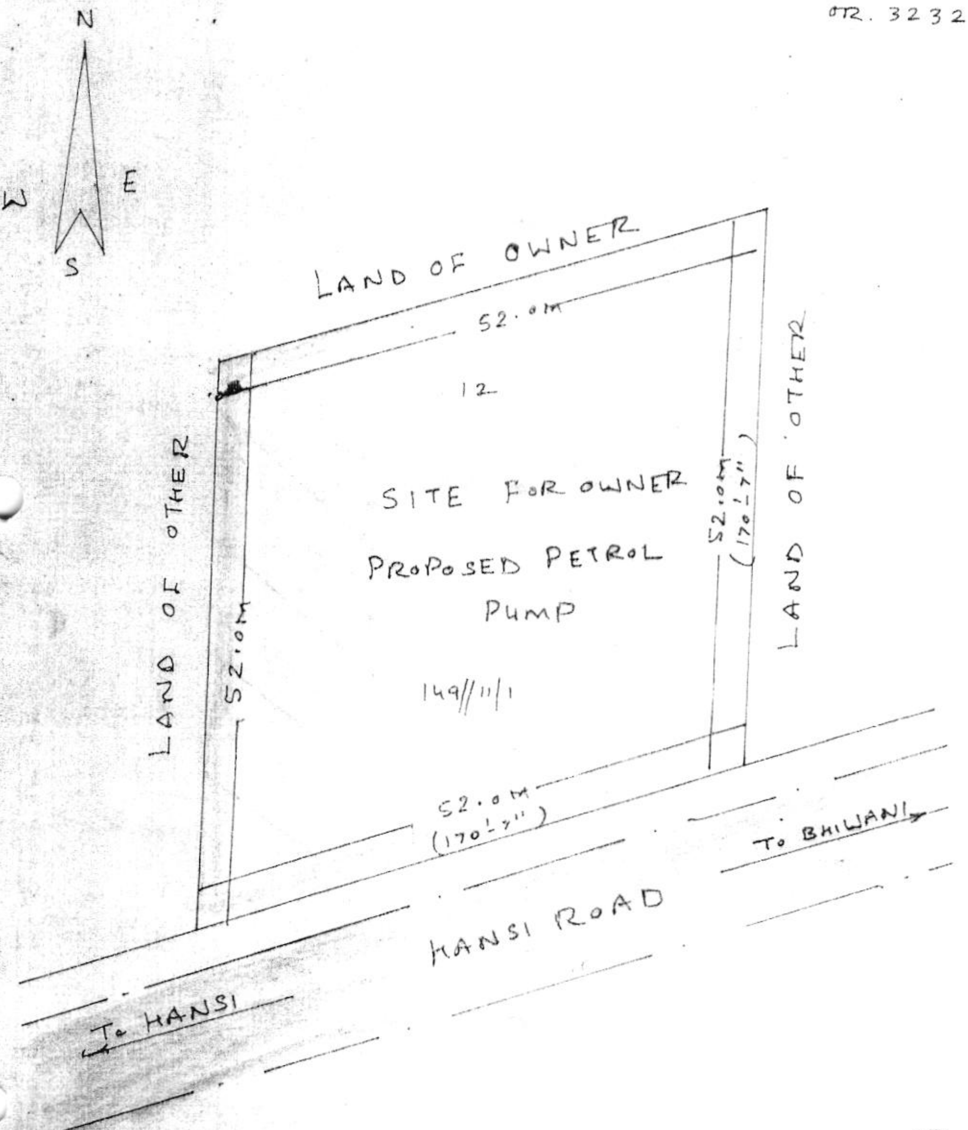

A haneja 15-1-19

TANEJA ARCHITECT
A. C. Taneja
BUILDING DESIGNER & ESTIMATOR
REGD. LIC. No. ... M.C. BWN.
COURT COMPOUND, BHIWANI

SIGN. OF APPLICANT.

[illegible] 10